(2008) 2 एस सी आर 787

मध्य प्रदेष राज्य व अन्य

बनाम

हजारी लाल

(सिविल अपील नम्बर 6498/2005)

फरवरी 12, 2008

(जस्टिस एस. बी. सिन्हा एवं जस्टिस हरजीत सिंह बेदी)

सेवा कानून-सेवा की समाप्ति-आपराधिक न्यायालय द्वारा पारित दण्डादेश अन्तर्गत धारा 323 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड सहिता-न्यायाधिकरण व उच्च न्यायालय ने उसकी बहाली का निर्देश देते हुये कहा कि सजा अत्याधिक थी-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गया-अनुशासनात्मक प्राधिकरण को मामले में सजा देते समय मामले की तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये अपनी वैधानिक विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करना चाहिये-उक्त मामले में बर्खास्तगी का आदेश अनुचित व असमान भी है। राज्य द्वारा निर्भर किये गये सेवानियम तत्काल मामले पर लागू नहीं होते हैं-मध्य प्रदेश सिविल सर्विस (वर्गीकरण नियंत्रण और अपील) नियम 1966-नियम 19।

उत्तरदाता एक चपरासी था जो कि अपराध अन्तर्गत धारा 323 सपठित 34 भारतीय दण्ड सहिंता में 500/-रुपये के जुर्माने से दण्डित किया गया था। यह देखते हुये उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की गयी और परिणामस्वरूप उसकी सेवाआेंं को समाप्त कर दिया गया। उसकी बहाली के प्रार्थना पत्र को राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा अनुमति देते हुये यह कहा गया कि सेवा समाप्ति उक्त मामले में अत्याधिक है। उक्त न्यायाधिकरण के आदेश के विरुद्ध रिट पिटीशन लगाई गयी जो कि खारिज हुयी इसलिये वर्तमान अपील।

याचिका खारिज करते हुये कोर्ट ने कहा-

1.1- अपीलार्थी का यह रवैया अनुचित है। उत्तरदाता द्वारा कोई भी अपराध सेवा नियमों के प्रावधानाेंं के अन्तर्गत नहीं किया गया। वह एक व्यक्ति को केवल साधारण चोट पहुंचाने के कृत्य में सम्मिलित था उसको जेल भी नहीं भेजा गया वह केवल 500/-रुपये का जुर्माना उस पर लगाया। (पैरा 5) (790-जी, 791-ए)

1.2- एक प्राधिकरण को वैधानिक विवेकाधीन शक्ति दी गयी है उसको मामले के सम्पूर्ण तथ्य व परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये कोई भी सजा का आदेश पारित करना चाहिये। उक्त शक्तियों का उपयोग करते समय अनुशासनात्मक प्राधिकरण को उचित व निष्पक्ष रूप से कार्यवाही करनी चाहियें। उत्तरदाता सबसे निचले पद पर था वह केवल एक अकास्मिक चपरासी था। विभाग मे उसकी सेवाऐं जारी रखने से राज्य का

नाम खराब नहीं होगा उसको नैतिक अधमता के कार्य के लिये दोषी नहीं ठहराया गया था। उसको किसी जघन्य अपराध के लिये भी दण्डित नहीं किया गया था। (पैरा 8) (792-बी, सी)

शंकर दास बनाम भारत संघ 1985(2) एस.सी.सी. 358- पर भरोसा किया।

2.2- इस अलावा न्यायिक समीक्षा के कानूनन मापदण्ड में बदलाव आया है। वेडसबरी के अनुचित्ता सिद्वांत को अनुपातिकता के सिद्धांत द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। उपरोक्त अनुपातिकता के सिद्धांत को लागू करते हुये इस मामले में भी कोई हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है (पैरा 12 और 15) (793-ई, 794-जी)

(इंडियन एयर लाईन्स लिमिटेड बनाम प्रभा डी कुमारी (2006) 11 एस.सी.सी. 67: यू पी राज्य बनाम शेवोशंकर लाल श्रीवास्तव (2006) 3 एस.सी.सी. 276 व एम पी गंगाधरण व अन्य केरल राज्य व अन्य ए आई आर 2006 एस सी 2360) कोयमतूर डिस्ट्रीक सेन्ट्रल काॅआपेरटिव बैंक बनाम कोयमतूर डिस्ट्रीक सेन्ट्रल काॅआपेरटिव बैंक एम्पलोईज एसोसियेषन व अन्य (2007) 4 एस सी सी 669 पर भरोसा किया गया।

सील (एफ सी) (अपीलान्ट बनाम चीफ कांस्टेबल आफ साउथ वेल्स पुलिस) (उत्तरदाता) (2007) 4 ए एल एल ई आर 177, हुआंग (एफ सी उत्तरदाता) बनाम सैक्रेट्री ऑफ स्टेट फाॅर दी होम डिपार्टमेन्ट (अपीलान्ट)

एण्ड कश्मीरी (एफ सी) (अपीलान्ट) बनाम सैक्रेट्री ऑफ स्टेट फार दी होम डिपार्टमेन्ट (उत्तरदाता) (संयुक्त अपील) 2007 4 ए एलएल ई आर 15, टुईड (अपीलान्ट) बनाम परेटस कमिशन फार नोरदर्न आयरलैण्ड (उत्तरदाता) (नोरदर्न आयरलैण्ड) 2007 2 ए एलएल ई आर 273, बेलफास्ट सिटी काउंसिल (अपीलान्टस) बनाम मिस बिहावियन लिमिटेड (उत्तरदाता) (नोरदर्न आयरलैण्ड)2007 3 ए एलएल ई आर 1007 व आर, (केन्ट्री साईड एलियान्स व अन्य की प्रार्थना) बनाम हर मजेस्टी एट्रोर्नी जनरल व अन्य 2007 3 डब्ल्यू एल आर 922 रिफर किये गये।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार-सिविल अपील नम्बर 6498/2005

विरुद्ध अंतिम निर्णय व आदेश दिनांक 28.4.2004 उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, जबलपुर बैन्च, ग्वालियर रिट पिटीशन नम्बर 375/2003

सिद्धार्थ दवे, विभादत्ता माखीजा व निमितबेन ए ओ अपीलान्टस की ओर से नितिन एस ताम्बवेकर, बी एस साई व के राजीव उत्तरदाता की ओर से।

निर्णय जस्टिस एस. बी. सिन्हा द्वारा दिया गया है।

1. उत्तरदाता माध्यमिक विद्यालय का एक नियुक्त चपरासी था। जिसने एक रामसिंह नामक व्यक्ति पर दिंनाक 05.10.1989 को हमला किया था। उस पर उक्त अपराध के लिये उस पर अभियोग चलाया गया व मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांकित 22.07.1992 को अपराध अन्तर्गत धारा

323 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड सहिंता के अन्तर्गत उस एक माह के साधारण कारावास से दण्डित किया गया। इसके उपरांत उसके द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर उसकी सजा केवल 500/-रुपये जुर्माने की रखी गयी। इसके विरुद्ध उत्तरदाता द्वारा हाई कोर्ट में एक पुर्ननिरीक्षण याचिका दायर की गयी।

2. एक कारण बताओ नोटिस उत्तरदाता को यह पूछते हुये दिया गया कि क्यों ना उसके विरुद्ध पारित हुये अपराधिक प्रकरण में दण्डादेश के कारण अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेे◌ं। आदेश दिनांक 25.11.1993 को उसकी सेवाऐं उपनिदेषक, विदीक्षा द्वारा समाप्त कर दी गयी इस आदेश के खिलाफ उत्तरदाता द्वारा मध्य प्रदेश राज्य सेवा अधिनियम के अन्तर्गत एक अपील दायर की गयी। हाला कि उस अपील के अन्दर कोई आदेश पारित नहीं हुआ। इसके उपरांत उसके द्वारा उपनिदेशक सार्वजनिक शिक्षा के समक्ष एक पुनारीक्षण याचिका दायर की गयी। उक्त पुनारीक्षण याचिका के लम्बित रहने के दौरान उत्तरदाता के द्वारा हाई कोर्ट में दायर की गयी आपराधिक पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी गयी। आदेश दिनांक 11.01.1984 द्वारा उपनिरीक्षक सामाजिक शिक्षा, विदीशा उत्तरदाता की उसे सेवा में बेहाल किये जाने की प्रार्थना को भी अस्वीकार किया गया था।

3. इसके उपरांत उत्तरदाता ने एक ओरिजनल एप्लीकेशन राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण, ग्वालियर में प्रस्तुत की। न्यायाधिकरण द्वारा

आदेश दिनांक 25.11.2002 में उत्तरदाता की एप्लीकेशन स्वीकार करते हुये निम्न आदेश पारित कियाः-

हाला कि यह माना जा सकता है कि प्रार्थी की सेवाऐं जिस दण्ड बात समाप्त की गयी थी वह एक अत्यंत अत्याधिक थी क्योंकि प्रार्थी को केवल 323 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध से दण्डित किया गया था व उच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया था कि सजा में कोई नैतिक अधमता शामिल नहीं है, सार्वजनिक प्राधिकरण में निहित प्रत्येक शक्ति का प्रयोग निष्पक्ष, न्यायसंगत और न्यायोचित रूप से किया जाना चाहिये। उत्तरदाताओं को अपने विवेक का उपयोग करते हुये जुर्माने को मामले की परिस्थितियों को देखते हुये उचित रूप से लगाना चाहिये। इसके लिये शंकरदास बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (1985 2 एस.सी.सी. 358) को कृपया देखे। ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा नहीं किया गया ।

इसके उपरांत प्रार्थीयों द्वारा एक रिट याचिका उपरोक्त आदेश के खिलाफ दायर की गयी जो कि उपरोक्त कारणों व आदेश के कारण खारिज की गयी।

4. विद्वान अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ दवे प्रार्थीयों के तरफ से उपस्थित हुये एवं यह कहा गया कि हाई कोर्ट द्वारा उक्त आदेश अपास्त किये जाने में स्पष्ट त्रुटि की गयी है क्योंकि वह न्यायाधिकरण के उक्त आदेश को ध्यान में रखने में विफल रहे है व हाई कोर्ट द्वारा इस स्तर पर सजा के मात्रा में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता।

5. यह कि प्रस्तुुत प्रकरण एक स्थूल मामला प्रतीत होता है। यह न्यायालय अपीलार्थी के रवैये की सरहाना करने में असमर्थ है एवं उक्त रवैया पूर्व दृष्टया पूरी तरह से अनुचित प्रतीत होता है। उत्तरदाता द्वारा सेवा नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत कोई कदाचार नहीं किया गया वह केवल एक व्यक्ति को साधारण क्षति पहुंचाने के मामले में शामिल था। इस बाबत् उसे जेल भी नहीं हुयी। उस पर जुर्माने के रूप में केवल 500/-रुपये की राशि लगायी गयी थी

6. इस मामले में अपीलार्थी द्वारा नियम 19 एम पी सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील) नियम, 1966 जो कि कुछ मामलो में एक विशेष प्रक्रिया बताते है, को लागू होना बताया गया जो कि तत्काल मामले में लागू प्रतीत नहीं होते हैं। उक्त नियम इस प्रकार हैः-

"19 कतिपय मामलों में विशेष प्रक्रिया- नियम 14 से नियम 18 तक में अनर्विष्ट किसी बात के होते हुये भीः-

(एक) जहां किसी शासकीय सेवक पर ऐसे आचरण के आधार पर जिसके कि परिणामस्वरूप उसे किसी दाण्डिक आरोप के सम्बन्ध में सिद्धदोष ठहराया गया हो कोई शास्ति अधिरोपित की गयी हो, या

(दो) जहां अनुशासिक प्राधिकारी का उसके द्वारा अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से यह समाधान हो जाय कि इन नियमों में उपबंधित की गयी रीति में जांच करना युक्तियुक्त रूप से व्यवहार्य नहीं है, या

(तीन) जहां राज्यपाल का समाधान हो जाय कि राज्य की सुरक्षा के हित में इन नियमों में उपबंधित की गयी रीति में कोई जांच करना इष्टकर नही है,

वहां अनुशासिक प्राधिकारी मामले की परिस्थितियों पर विचार कर सकेगा और उस पर ऐसे आदेश दे सकेगा जैसे कि वह उचित समझे,

परन्तु इस नियम के अधीन किसी भी मामले में कोई आदेश देने के पूर्व आयोग से परामर्ष किया जाएगा जहां कि ऐसा परामर्श आवश्यक हो,''

7. इस प्रकार उपरोक्त प्रावधान के कारण ''अनुशासनात्मक प्राधिकारी को यह शाक्तियां प्राप्त है कि वह मामले की परिस्थितियों को देखे कि एक सरकारी कर्मचारी पर आपराधिक मामले में दोशी सिद्ध ठहराये जाने पर जुर्माना लगाया गया हो । लेकिन इसका मतलब यह नहीं होगा कि अगर उसको किसी भी मामले में सजा सुनाई गयी है या जुर्माना लगाया है तो मामले की प्रकृति को देखे बिना उसको उसी सेवाओं से निष्कासित किया जावे। इस प्रकार का निर्णय हमारी राय में बिल्कुल आवश्यक नहीं है।

8. एक प्राधिकरण को वैधानिक विवेकाधीन शक्ति दी गयी है उसको मामले के सम्पूर्ण तथ्य व परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये कोई भी सजा का आदेश पारित करना चाहिये। उक्त शक्तियों का उपयोग करते समय अनुशासनात्मक प्राधिकरण को उचित व निष्पक्ष रूप से कार्यवाही करनी चाहियें। उत्तरदाता सबसे निचले पद पर था वह केवल एक अकास्मिक

चपरासी था। विभाग मे उसकी सेवाऐं जारी रखने से राज्य का नाम खराब नहीं होगा उसको नैतिक अधमता के कार्य के लिये दोषी नहीं ठहराया गया था। उसको किसी जघन्य अपराध के लिये भी दण्डित नहीं किया गया था।

9. हमारी राय में न्यायालय अधिकरण द्वारा इस न्यायालय के निर्णय शंकरदास बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (1985 2 एस सी सी 358) को सही तरीके से काम में लिया गया जहा पर इस न्यायालय द्वारा दिल्ली के मजिस्ट्रेट सरहाना की गयी जिसमें अपीलार्थी को अन्तर्गत धारा 12 परिवीक्षा का लाभ देते हुये यह कहा गया था-

"दुर्भाग्य ने आरोपी को लगभग एक साल तक परेशान किया और ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिकुल परिस्थितियों के बल में था कि उसने विचाराधीन धन को रख लिया शंकरदास एक अधेड उम्र का आदमी है तथा यह स्पष्ट है कि उसके द्वारा सही समय पर उपरोक्त पैसा जमा नहीं कराया गया वह पूर्व में किसी मामले में दोषसिद्ध भी नहीं हुआ।" इसलिये मामले की परिस्थितियों को देखते हुये मेरी यह राय है कि उसको परिवीक्षा अधिनियम 1958 का लाभ दिया जाना चाहिये।"

10. उक्त अवलोकन के उपरांत शंकरदास की सेवाऐ बर्खास्त की गयी। इस पर इस न्यायालय द्वारा यह अभिकथित किया गया किः-

"7. यह खेदजनक है कि विद्वान मजिस्ट्रेट की उक्त टिप्पणियों के बावजूद सरकार ने अपीलार्थी की सेवाओं को हरबडी में बर्खास्त करने का

फैसला किया एवं उसके सेवाकाल को देखते हुये अपने विवेक का इस्तमाल किये बिना कि उस पर किस प्रकार का जुर्माना लगाना चाहिये यह तय नहीं किया गया। खण्ड (ए) दूसरा प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 311 (2) सरकार को यह शक्ति देता है कि वह किसी व्यक्ति सेवाऐं उसे किसी आपराधिक मामले में दोषी पाये जाने पर बर्खास्त कर सकती है, परन्तु यह शक्ति हर दूसरी शक्ति की तरह निष्पक्ष व न्यायपूर्ण और न्यायपूर्ण तरीके से प्रयोग की जानी चाहिये। निष्चित रूप से संविधान में इस बाबत चिंतन नही किया गया है कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी को गैर पार्किंग एरिया में अपने स्कूटर की पार्किंग करने पर दोषसिद्ध किया जावें तो उसे सेवाओं से बर्खास्त किया जावे। हो सकता है कि उसको खण्ड (ए) दूसरा प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 311 (2) में सुनने का अधिकार प्राप्त नही है जब उसको किसी आपराधिक मामले में दोषसिद्ध होने पर जुर्माना लगाया जावें। परन्तु जुर्माना लगाने के अधिकार तब ही है जब वह जुर्माना न्यायपूर्ण तरीके से लगाया जावें। मामले की परिस्थितियों को देखते हुये कोई दोराह नहीं हो सकता कि अपीलार्थी पर लगाये गये सेवा से बर्खास्तगी का जुर्माना सनकी है।"

11. इस मामले में भी हम इसी तरह का असंतोष व्यक्त करते है।

12. इस अलावा न्यायिक समीक्षा के कानूनन मापदण्ड में बदलाव आया है। वेडसबरी के अनुचित्ता सिद्वांत को अनुपातिकता के सिद्वांत द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। (इंडियन एयर लाईन्स लिमिटेड बनाम प्रभा डी

कुमारी (2006) 11 एस सी सी 67: यू पी राज्य बनाम शेवोषंकर लाल श्रीवास्तव (2006) 3 एस सी सी 276 व एम पी गंगाधरण व अन्य केरल राज्य व अन्य ए आई आर 2006 एस सी 2360)

13. इस स्तर पर हम यूनाईटेड किंगडम हाउस आफ लार्डस द्वारा सिद्वांत के उपयोग को देख सकते है जो कि सील (एफ सी) (अपीलन्ट बनाम चीफ कांस्टेबल आफ साउथ वेल्स पुलिस) (उत्तरदाता) (2007) 4 ए एल एल ई आर 177, हुआंग (एफ सी उत्तरदाता) बनाम सैक्रेट्री आफ स्टेट फार दी होम डिपार्टमेन्ट (अपीलान्ट) एण्ड कश्मीरी (एफ सी) (अपीलान्ट) बनाम सैक्रेट्री आफ स्टेट फार दी होम डिपार्टमेन्ट (उत्तरदाता) (संयुक्त अपील) 2007 4 ए एलएल ई आर 15, टुईड (अपीलान्ट) बनाम परेटस कमिषन फार नोरदर्न आयरलैण्ड (उत्तरदाता) (नोरदर्न आयरलैण्ड) 2007 2 ए एलएल ई आर 273, बेलफास्ट सिटी काउंसिल (अपीलान्टस) बनाम मिस बिहावियन लिमिटेड (उत्तरदाता) (नोरदर्न आयरलैण्ड)2007 3 ए एलएल ई आर 1007 व आर, (केन्ट्री साईड एलियान्स व अन्य की प्रार्थना) बनाम हर मजेस्टी एट्रोर्नी जनरल व अन्य 2007 3 डब्ल्यू एल आर 922।

14. यह दिलचस्प है कि न्यायिक समीक्षा के पारम्परिक आधारों व अनुपातिकता का सिद्वांत के बीच अंतर बताते हुये लोर्ड कार्सवेल ने उपरोक्त दिये गये टूईड के निर्णय को ध्यान में रखते हुये यह उल्लेख किया किः

"शुरूआती बिन्दु यह कि समीक्षा के पारम्परिक आधार और अनुपातिकता के सिद्वांत में अतिछिन्दता है। कोई सिद्वांत लागू करने पर

अधिकांश मामलों में एक ही निर्णय आयेगा लेकिन अनुपातिकता के सिद्धांत को अगर काम मे लिया जावें तो समीक्षा की त्वरिता अधिक होगी।"

15. उपरोक्त सिद्धांत को लागू करते हुये हमारी राय में विवादित निर्णय में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

16. विद्वान अधिवक्ता द्वारा कोयमतूर डिस्ट्रीक सेन्ट्रल काॅआपेरटिव बैंक बनाम कोयमतूर डिस्ट्रीक सेन्ट्रल काॅआपेरटिव बैंक एम्पलोईज एसोसियेषन व अन्य (2007) 4 एस सी सी 669, जिसमें इस न्यायालय ने भी अनुपातिकता के सिद्धांत की प्रयोजता को स्वीकार किया है इसमें इस न्यायालय ने रंजीत ठाकुर बनाम भारत संघ और अन्य 1987 4 एस सी सी 611 व एम पी गंगाधरण व अन्य बनाम केरल राज्य व अन्य (2006) एस सी सी 162 मामलों में इस न्यायालय के निर्णय को अनुमोदन के साथ उद्दग्रहित किया हैं।

17. उपरोक्त कारणों से इस अपील में कोई योग्यता नहीं है जो हर्जे खर्चे के साथ खारिज की जाती है। अधिवक्ता शुल्क 2500/-रुपये।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी वमीता सिंह (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।